

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 1(1)साप्र/2/2018

जयपुर, दिनांक : 05-03-2019

—: आदेश :—

श्री अमित ढाका, आई.ए.एस विशिष्ट सचिव (प्रथम) मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर को उनकी प्रथम श्रेणी की वरीयता संख्या 12/2019 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2035 है, के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवण्टन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधान अन्तर्गत आउट ऑफ टर्न प्रथम श्रेणी का राजकीय आवास संख्या 1/3 गांधीनगर जयपुर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

३०

(महेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रधान महाज्ञेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मां० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग
4. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या एफ 19001204 दिनांक 28.02.2019 के क्रम में।
6. श्री अमित ढाका, आई.ए.एस विशिष्ट सचिव (प्रथम) मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करें।
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
11. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर।
12. उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. सहाय्यक अभियन्ता, चौकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गांधीनगर-चौकी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें, साथ ही आपण्टी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय को भी भिजवावें।
15. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली

३०
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 1(1)साप्र/2/2018

जयपुर, दिनांक : 05-03-2019

—: आदेश :—

सुश्री आरती डोगरा, आई.ए.एस. संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी प्रथम श्रेणी की वरीयता संख्या 18/2018 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2039 है, के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु इस विभाग के समसंब्यक्त आदेश दिनांक 08.02.2019 द्वारा राजकीय आवास आवण्टन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधान अन्तर्गत आउट ऑफ टर्न आवंटित राजकीय आवास संख्या 1-ए-4 बहुमजिला, गांधीनगर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 1/36, गांधीनगर, जयपुर रिक्त होने की प्रत्याशा में निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्त :—

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आंश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

८०
(महेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
- संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या एफ 19001204 दिनांक 28.02.2019 के क्रम में।
- सुश्री आरती डोगरा, आई.ए.एस. संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्प्लावने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करें।
- प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- वित्तिय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर।
- उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- सहायक अभियन्ता, चौकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मांधीनगर-चौकी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें, साथ ही आपणी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय को भी भिजवावें।
- प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
- निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

८०

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 2(1)साप्र/2/18

जयपुर, दिनांक : ०८-०३-२०१९

—: आदेश :—

श्री आशीष मोदी, आईएएस, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयता संख्या 06/2019 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2047 है, के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवण्टन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधान अन्तर्गत आउट ऑफ टर्न प्रथम श्रेणी का राजकीय आवास संख्या एफ-20, हीराबाग जयपुर रिक्त होने की प्रत्याशा में निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:-

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

शर्त :—

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवंस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
 - उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(महेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
- संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या एफ 19000951 दिनांक 28.02.2019 के क्रम में।
- श्री आशीष मोदी, आईएएस, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करें।
- प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- अधिशासी अभियन्ता अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-द्वितीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर।
- उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- सहायक अभियन्ता, चौकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गांधीनगर-चौकी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें, साथ ही आपण्टी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय को भी भिजवावें।
- प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
- निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी / विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाइल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर